न्यायमूर्ति जसबीर सिंह और के.सी. पुरी के समक्ष

ओम प्रकाश और अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य- उत्तरदाताओं

सी.डब्ल्यू.पी. क्रमांक 18601/2006

10 अप्रैल 2008

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1998-नियम 7-सुनिश्चित कैरियर प्रगति नियम, 1998-नियम 15-हरियाणा राज्य द्वारा जारी निर्देश दिनांक 22 अगस्त, 2003-वेतनमान का संशोधन- हरियाणा सरकार ने केंद्रीय 5वें वेतन आयोग की सिफारिशों को अपनाते हुए संशोधित ग्रेडों में स्वीकार्य बंचिंग का लाभ देने के बाद संशोधित वेतन नियम, 1998 के नियम 7 (i) (ए) के तहत याचिकाकर्ताओं के वेतन का निर्धारण किया। याचिकाकर्ताओं को प्रत्येक के लिए संशोधित वेतनमान में एक वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया। तीन वेतन वृद्धि - सरकार ने 22 अगस्त, 2003 को निर्देश जारी करके याचिकाकर्ताओं की वेतन वृद्धि कम कर दी - संशोधित वेतन नियमों के नियम 7 और एसीपी नियमों के नियम 15 के अंतिम प्रावधानों में कहा गया है कि वेतन निर्धारण में, अधिक वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों का वेतन मौजूदा वेतनमान में लगातार चार से अधिक चरण एकत्रित हो जाते हैं - योजना में परिकल्पना की गई है कि कर्मचारी का वेतन तय करते समय वर्तमान वेतनमान के

चरणों को ध्यान में रखा जाना चाहिए - उत्तरदाताओं की दलील है कि याचिकाकर्ताओं ने केवल दो 'वास्तविक' वेतन वृद्धि अर्जित की है जो वर्तमान में 3 वेतन वृद्धि से कम है वेतनमान संशोधित वेतन नियमों की भावना के विरुद्ध है - मूल योजना वर्तमान वेतनमान के चरणों की व्याख्या करती है न कि अर्जित 'वास्तविक' वेतन वृद्धि की - याचिकाएँ स्वीकार की गईं, 22 अगस्त 2003 के निर्देश और वेतन वृद्धि वापस लेने का आदेश रद्द कर दिया गया।

अभिनिर्णीत किया गया कि याचिकाकर्ताओं का वेतन संशोधित वेतनमान के न्यूनतम पर तय किया गया है। ओम प्रकाश याचिकाकर्ता के मामले को उठाते हुए, यह पाया गया कि 31 दिसंबर, 1995 को ओम प्रकाश का वेतनमान 1,400- 2,600 रुपये था और संशोधित वेतनमान 5,450- 8,000 रुपये है और मूल वेतन, महंगाई भत्ता, अंतरिम राहत में 40% वृद्धि का लाभ देने के बाद, ओम प्रकाश याचिकाकर्ता का कुल वेतन 5017 रुपये बनता है।अनुलग्नक पी-2 में खंड 8 तक इन गणनाओं के संबंध में कोई विवाद नहीं है। दोनों पक्षों के बीच विवाद याचिकाकर्ता ओम प्रकाश द्वारा की गई सेवा के बदले तीन वेतन वृद्धि का लाभ देने से शुरू होता है। अनुलग्नक पी-2 के अनुसार, ओम प्रकाश याचिकाकर्ता को रुपये का मूल वेतन प्रदान किया गया। 5,750 लेकिन बाद में, अनुलग्नक पी-6 के माध्यम से 1 जनवरी 1996 को उनका मूल वेतन रु. तय किया गया। 5,450 रुपये और याचिकाकर्ता ओम प्रकाश को दिए गए बकाया वेतन की वसूली उनसे करने की मांग की गई है। उत्तरदाताओं द्वारा दिया गया कारण यह है कि चूंकि ओम प्रकाश ने रुपये के वर्तमान वेतनमान में केवल दो वेतन वृद्धि अर्जित की है। 1400- 2600 जो कि वर्तमान वेतनमान में तीन वेतन वृद्धि से कम है, इस प्रकार,

उनका वेतन 22 अगस्त, 2003, अनुलग्नक पी-6 के निर्देशों के मद्देनजर न्यूनतम पर तय किया जाना है।उत्तरदाताओं का यह दृष्टिकोण संशोधित वेतन नियम, 1998 और एसीपी नियम, 1998 की भावना के विरुद्ध है। संशोधित वेतन नियमों के नियम 7 का अंतिम परंतुक और एसीपी नियमों के नियम 15 का अंतिम परंतुक प्रासंगिक हैं।इन प्रावधानों में कहा गया है कि जहां वेतन निर्धारण में, मौजूदा वेतनमान में लगातार चार से अधिक चरणों में वेतन प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारियों का वेतन बंच हो जाता है, यानी, उसी चरण में संशोधित वेतनमान में तय हो जाता है, वेतन संशोधित वेतनमान में इन सरकारी सेवकों में से जो मौजूदा वेतनमान में पहले चार लगातार चरणों से अधिक वेतन ले रहे हैं, उन्हें संशोधित वेतन वृद्धि प्रदान करके उस चरण तक ऊपर उठाया जाएगा जहां ऐसी बंचिंग होती है जैसा कि उपरोक्त नियमों में उल्लिखित पैमाना है।

(पैरा 18)

इसके अलावा, यह अभिनिर्णीत किया गया कि संशोधित वेतन नियम, 1998 और एसीपी नियम, 1998 उन चरणों को ध्यान में रखते हुए "संशोधित वेतनमान" में वेतन वृद्धि देने से संबंधित हैं, जहां कर्मचारी को वर्तमान वेतनमान में वेतन मिल रहा था। पिछला वेतन संशोधन 1 जनवरी, 1986 से हुआ है। यदि इन नियमों का उद्देश्य सेवा के वर्ष के अनुसार वेतन वृद्धि देना था, तो उस स्थिति में, कोई भी कर्मचारी 1 जनवरी, 1986 से 1 जनवरी, 1986 के बीच 10वें चरण से अधिक नहीं पहुंच सकता था। इस योजना में 16वें चरण तक भी वेतन वृद्धि देने की परिकल्पना की गई थी, जो स्पष्ट

रूप से दर्शाता है कि कर्मचारी का वेतन तय करते समय वर्तमान वेतनमान के चरणों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, न कि वर्तमान वेतनमान में अर्जित "वास्तविक" वेतन वृद्धि को।

(पैरा 19)

-आर एन शर्मा, अधिवक्ता

-रवि वर्मा, अधिवक्ता

-उमेश नारंग, अधिवक्ता

-सुशील भारद्वाज, अधिवक्ता

-एचएन खंडूजा, अधिवक्ता

-अशोक कौशिक, अधिवक्ता

-आर एन शर्मा, अधिवक्ता

-आरएस सांगवान, अधिवक्ता

-एलआर नंदल, अधिवक्ता

-गुंजन मेहता, अधिवक्ता

-आर. सी. चतरथ, अधिवक्ता

-नवनीत छोकर, अधिवक्ता

-सुमित गोयल, अधिवक्ता

-संदीप के. यादव, अधिवक्ता

-संदीप कुमार, अधिवक्ता

-ए.के. राठी, अधिवक्ता

-सुभाष आहूज, अधिवक्ता

-अमित पराशर, अधिवक्ता

-संजीव कोडान, अधिवक्ता

-नरेंद्र हुडा, एडवोकेट

-पीएल वर्मा, अधिवक्ता

-एस एन पिलानिया, अधिवक्ता

-एस. पी. लालेर, अधिवक्ता

-सैलेन्दर सिंह, अधिवक्ता

-रवि वर्मा, अधिवक्ता

-एस.के. जैन, अधिवक्ता

-यादविंदर सिंह, एडवोकेट

-रामेश्वर शर्मा, अधिवक्ता

-आर एस मलिक, याचिकाकर्ताओं के वकील

-एच एस हुडा, महाधिवक्ता, श्री एम एस सिंधु, डिप्टी महाधिवक्ता हरियाणा के साथ प्रतिवादियों की ओर से।

के. सी. पुरी, न्यायमूर्ति

निर्णय

(1) इस निर्णय के माध्यम से, हम निम्नलिखित रिट याचिकाओं का निपटान करना चाहते हैं, क्योंकि इन सभी रिट याचिकाओं में कानून और तथ्यों के समान प्रश्न शामिल हैं: -

1. सीडब्ल्यूपी नंबर 18601/2006-ओम प्रकाश और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

2. सीडब्ल्यूपी संख्या 4813/2005-खड़क सिंह बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य

3. सीडब्ल्यूपी नंबर 13225/2006-शिव दयाल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

4. सीडब्ल्यूपी नंबर 13867/2006-छाजू राम और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

5. सीडब्ल्यूपी नंबर 15109/2006-हरि राम बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

6. सीडब्ल्यूपी नंबर 16124/2006-धरम पाल बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

7. सीडब्ल्यूपी नंबर 19964/2006-प्रेम लता बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

8. सीडब्ल्यूपी नंबर 8386/2006-नगर माई बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

9. सीडब्ल्यूपी नंबर 10040/2007-होशियार सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

10. सीडब्ल्यूपी नंबर 10814/2007 सरूप सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

11. सीडब्ल्यूपी नंबर 11988/2007-इंदर सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

12. सीडब्ल्यूपी नंबर 12005/2007-सतपाल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

13. सीडब्ल्यूपी नंबर 12458/2007 -जागीर सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

14. सीडब्ल्यूपी नंबर 1554/2007 -वीना रानी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

15. सीडब्ल्यूपी नंबर 2358/2007 -सुखबीर सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

16. सीडब्ल्यूपी नंबर 2672/2007 -कज़ान सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

17. सीडब्ल्यूपी नंबर 27/2007 -राम चंदर बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

18. सीडब्ल्यूपी नंबर 4347/2007 -ओम प्रकाश बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

19. सीडब्ल्यूपी नंबर 5100/2007 -प्रेम सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

20. सीडब्ल्यूपी नंबर 6731/2007 -सुदेश मक्कड़ और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

21. सीडब्ल्यूपी नंबर 8105/2007 -गेटा देवी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

22. सीडब्ल्यूपी नंबर 8639/2007 -राजिंदर सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

23. सीडब्ल्यूपी संख्या 10158/2006 -ईश्वर दत्त शर्मा बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य

24. सीडब्ल्यूपी नंबर 11200/2006 -सूरत सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

25. सीडब्ल्यूपी नंबर 10665/2006 -धर्मपाल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

26. सीडब्ल्यूपी नंबर 10573/2006 -बलकार सिंह एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

27. सीडब्ल्यूपी नंबर 11475/2006 -मोहिंदर सिंह एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

28. सीडब्ल्यूपी नंबर 12050/2006 -धरम पाल एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

29. सीडब्ल्यूपी नंबर 8445/2006 -बाल चंद्रिका एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

30. सीडब्ल्यूपी नंबर 2657/2006 -आशा गर्ग एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

31. सीडब्ल्यूपी नंबर 9714/2006 -राम सिंह एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

32. सीडब्ल्यूपी नंबर 8309/2006 -बलबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

33. सीडब्ल्यूपी संख्या 16800/2006 -सत्यवीर एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

34. सीडब्ल्यूपी नंबर 14246/2006 -धर्मबीर सिंह एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

35. सीडब्ल्यूपी नंबर 12899/2006 -सुखविंदर कौर बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

36. सीडब्ल्यूपी संख्या 18768/2006- चंदर देवी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

37. सीडब्ल्यूपी क्रमांक 19647/2006- रमेश बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

38. सीडब्ल्यूपी संख्या 5808/2006 -कृष्ण देव सिंह एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

39. सीडब्ल्यूपी नंबर 6576/2006 -अमीर चंद एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

40. सीडब्ल्यूपी नंबर 4049/2006 -शशि प्रभा बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

41. सीडब्ल्यूपी संख्या 3849/2006- धर्मवीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

42. सीडब्ल्यूपी संख्या 3949/2006 -रोहतास सिंह बनामहरियाणा राज्य और अन्य

43. सीडब्ल्यूपी संख्या 4314/2006 -खजानो देवी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

44. सीडब्ल्यूपी नंबर 8459/2006 रेनू -बाला एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

45. सीडब्ल्यूपी संख्या 20360/2006 -ऋषि प्रकाश एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

46. सीडब्ल्यूपी नंबर 18775/2006-लाई सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

47. सीडब्ल्यूपी नंबर 426/2008 -भीखू राम बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

48. सीडब्ल्यूपी नंबर 9711/2006- सूरज प्रकाश एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

49. सीडब्ल्यूपी नंबर 18089/2007- राम प्रकाश एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

50. सीडब्ल्यूपी नंबर 772/2005 -रणवीर सिंह एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

51. सीडब्ल्यूपी नंबर 10693/2004- बलवंत सिंह आदि बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

52. सीडब्ल्यूपी संख्या 12450/2004- भरत सिंह आदि बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

53. सीडब्ल्यूपी संख्या 12117/2005 -लक्ष्मी देवी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

54. सीडब्ल्यूपी संख्या 1248/2005 -संतोष कुमारी एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

55. सीडब्ल्यूपी संख्या 1362/2005 -तृप्ता देवी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

56. सीडब्ल्यूपी संख्या 16640/2005- दया नंद एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

57. सीडब्ल्यूपी संख्या 3105/2005- ओम पति एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

58. सीडब्ल्यूपी नंबर 8320/2005 -खजान सिंह एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

59. सीडब्ल्यूपी संख्या 6482/2006- उदय सिंह एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

60. सीडब्ल्यूपी नंबर 7618/2006 -अंबिका प्रसाद एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

61. सीडब्ल्यूपी नंबर 10407/2007- शिक्षा देवी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

62. सीडब्ल्यूपी नंबर 4999/2004 -गुलजारी लाई आदि बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

63. सीडब्ल्यूपी नंबर 15681/2004- राज रूप मेहलवत और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

64. सीडब्ल्यूपी नंबर 8260/2004 -जानकी देवी एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

65. सीडब्ल्यूपी संख्या 3111/2005- दर्शना देवी एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

66. सीडब्ल्यूपी नंबर 6372/2005 -नोक राम और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

67. सीडब्ल्यूपी नंबर 7453/2005 -सतबीर सिंह आदि बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

68. सीडब्ल्यूपी नंबर 12272/2006- करमबीर सिंह एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

69. सीडब्ल्यूपी क्रमांक 14376/2006- संतोष शर्मा बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

70. सीडब्ल्यूपी संख्या 5079/2006 -लक्ष्मी देवी एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

71. सीडब्ल्यूपी नंबर 7405/2006 -राम कुमार एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य

72. सीडब्ल्यूपी नंबर 8369/2006 -श्री भगवान एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

73. सीडब्ल्यूपी नंबर 10792/2006- भगत सिंह एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

74. सीडब्ल्यूपी संख्या 14754/2006- सत्य प्रकाश एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

75. सीडब्ल्यूपी नंबर 20516/2006 -करतार सिंह एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

76. सीडब्ल्यूपी नंबर 2848/2007 -सैन दित्ता बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

77. सीडब्ल्यूपी नंबर 18480/2006- सुल्तान सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

78. सीडब्ल्यूपी नंबर 18526/2006 -राजिंदर प्रकाश और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

79. सीडब्ल्यूपी नंबर 5218/2007 -राम कुमार एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

80. सीडब्ल्यूपी नंबर 19498/2006- सूबे सिंह एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

81. सीडब्ल्यूपी संख्या 12556/2007- चरण सिंह एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

82. सीडब्ल्यूपी नंबर 14255/2007 -सतदेव सिंह एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

83. सीडब्ल्यूपी संख्या 17889/2007- धर्मवीर बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

84. सीडब्ल्यूपी नंबर 18148/2007 -टेक राम एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

85. सीडब्ल्यूपी संख्या 2580/2007 -सूरज पाल बनाम निदेशक शिक्षा, हरियाणा और अन्य

86. सीडब्ल्यूपी नंबर 5688/2007 -मेहर सिंह चौहान एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

87. सीडब्ल्यूपी नंबर 7865/2007-दर्शन कुमारी एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

88. सीडब्ल्यूपी नंबर 7909/2007-बरहमी देवी एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

89. सीडब्ल्यूपी नंबर 7936/2007 -प्रेम कौर एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

90. सीडब्ल्यूपी नंबर 1807/2008 -ओम प्रकाश एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

91. सीडब्ल्यूपी नंबर 1823/2008 -बीरबल सिंह एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

92. सीडब्ल्यूपी नंबर 2222/2008 -हंस राज एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

93. सीडब्ल्यूपी नंबर 738/2008 -रत्ती देवी एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

94. सीडब्ल्यूपी नंबर 1443/2007- आनंद प्रकाश एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

95. सीडब्ल्यूपी संख्या 3616/2007- जय प्रकाश एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

96. सीडब्ल्यूपी नंबर 13484/2007 -आजाद सिंह एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

97. सीडब्ल्यूपी नंबर 5733/2007- ओम प्रकाश एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

98. सीडब्ल्यूपी नंबर 17814/2007- नाथू राम एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

99. सीडब्ल्यूपी संख्या 436/2008 -पृथ्वी सिंह एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

100. सीडब्ल्यूपी संख्या 16506/2007- रमेश चंदर एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

101. सीडब्ल्यूपी नंबर 4455/2007 -गार्गी राठी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

102. सीडब्ल्यूपी नंबर 6397/2007 -नंद लाई और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

103. सीडब्ल्यूपी नंबर 6836/2007 -चमन लाई बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

104. सीडब्ल्यूपी नंबर 7401/2007 -राज सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

105. सीडब्ल्यूपी नंबर 11224/2007- छबील सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

106. सीडब्ल्यूपी नंबर 13427/2007 -धरम पाल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

107. सीडब्ल्यूपी नंबर 14794/2007 -मंजू शर्मा बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

108. सीडब्ल्यूपी नंबर 15316/2007 -प्रताप सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

109. सीडब्ल्यूपी नंबर 17184/2007 -शीला देवी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

110. सीडब्ल्यूपी नंबर 17751/2007 -पुष्पा देवी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

111. सीडब्ल्यूपी नंबर 17759/2007 -राम अवतार और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

112. सीडब्ल्यूपी नंबर 18890/2007 -दुली चंद शर्मा बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

113. सीडब्ल्यूपी संख्या 1438/2008 -ओम प्रकाश और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

114. सीडब्ल्यूपी नंबर 1685/2008 -गुरमुख सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

115. सीडब्ल्यूपी नंबर 2430/2008 -अत्तर सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

116. सीडब्ल्यूपी नंबर 2452/2008 -राम चंदर और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

117. सीडब्ल्यूपी संख्या 2576/2008- करण सिंह एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

118. सीडब्ल्यूपी संख्या 2670/2008 -अर्जुन सिंह एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

119. सीडब्ल्यूपी नंबर 2886/2008 -रघबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

120. सीडब्ल्यूपी नंबर 2978/2008 -जसमेर सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

121. सीडब्ल्यूपी नंबर 3090/2008 -रघुबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

122. सीडब्ल्यूपी संख्या 3135/2008- महावीर सिंह एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

123. सीडब्ल्यूपी नंबर 3162/2008 -टेक चंद शर्मा एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

124. सीडब्ल्यूपी संख्या 15037/2004- श्रीमती उर्मीला देवी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

125. सीडब्ल्यूपी नंबर 1039/2005-उम्मेद सिंह मलिक और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

126. सीडब्ल्यूपी नंबर 16795/2004- राम सिंह एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

127. सीडब्ल्यूपी नंबर 2939/2005 -महावीर सिंह एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

128. सीडब्ल्यूपी नंबर 4819/2005 -कमलेश देवी एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

129. सीडब्ल्यूपी नंबर 5835/2006 -सुदेश मलिक एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

130. सीडब्ल्यूपी क्रमांक 6520/2007- अनोप सिंह खत्री बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

131. सीडब्ल्यूपी नंबर 8085/2005 -ईश्वर सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

132. सीडब्ल्यूपी नंबर 9934/2005 -जगदीश चंदर और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

133. सीडब्ल्यूपी नंबर 3585/2008-डेटावंती बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

134. सीडब्ल्यूपी नंबर 3908/2008 -सुनीता बख्शी एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

135. सीडब्ल्यूपी नंबर 4520/2008 -जिले सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

136. सीडब्ल्यूपी संख्या 4884/2008- हरकेश चंदर एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

137. सीडब्ल्यूपी संख्या 4891/2008 -बहादुर चंद एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

138. सीडब्ल्यूपी नंबर 4916/2008 -गुरमेश कुमारी एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य

139. सीडब्ल्यूपी नंबर 18633/2007- सरूप सिंह एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

140. सीडब्ल्यूपी नंबर 1839/2007 -जगदीश राय एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(2) तथ्य सीडब्ल्यूपी नंबर 18601/2000 से निकाले गए हैं जिसका शीर्षक ओम प्रकाश और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य है।

(3) इन सभी मामलों के याचिकाकर्ताओं ने 22 अगस्त 2003 के आदेश (अनुलग्नक पी-6) और उस आदेश को चुनौती दी है जिसके तहत याचिकाकर्ताओं का वेतन कम किया गया है और वसूली का आदेश जो याचिकाकर्ताओं के खिलाफ किया गया है।

(4) याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि वे हरियाणा शिक्षा विभाग में जेबीटी शिक्षक/मुख्य शिक्षक या सी एंड वी शिक्षक के रूप में कार्यरत थे और उनके वेतनमान को 1 जनवरी 1996 से लागू हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 1998 के तहत संशोधित किया गया है।याचिकाकर्ताओं का वेतन जनवरी, फरवरी और मार्च 1998 के महीनों में तय किया गया था और संबंधित कार्यालय के अनुभाग अधिकारी से सत्यापित किया गया था। संशोधित ग्रेड में स्वीकार्य बंचिंग का लाभ देकर याचिकाकर्ताओं का वेतन संशोधित वेतन नियम, 1998 के नियम 7 (i) (ए) के तहत तय किया गया था। कर्मचारियों, यानी याचिकाकर्ताओं को वर्तमान वेतनमान में प्रत्येक तीन वेतन वृद्धि (स्थिर वेतन वृद्धि सहित), यदि कोई हो, के लिए संशोधित वेतनमान में एक वेतन वृद्धि दी गई थी। प्रतिवादी-विभाग ने शिक्षकों से बंचिंग का लाभ वापस ले लिया था क्योंकि शिक्षक सुनिश्चित कैरियर प्रगति नियम, 1998 के दायरे में नहीं थे। उनका वेतन संशोधित वेतन नियम, 1998 और नियम 7(i)(ए) के तीसरे प्रावधान के तहत तय किया जाना था, जिसके द्वारा मौजूदा वेतनमान में ही वेतन वृद्धि के प्रावधान की अनुमति दी गई है।मामले के निर्णय के लिए, संशोधित वेतनमान 1998 में मौजूदा वेतनमान और कार्यात्मक पैमाने की परिभाषा और सुनिश्चित कैरियर प्रगति नियम, 1998 (इसके बाद एसीपी नियमों के रूप में उल्लेख किया जाएगा) में मौजूदा वेतनमान, कार्यात्मक वेतनमान और वर्तमान वेतनमान की परिभाषा प्रासंगिक है।

(5) जिन कर्मचारियों का वेतन संशोधित वेतन नियम, 1998 के तहत तय किया गया था, वे अपने मौजूदा वेतनमान में बंचिंग के हकदार नहीं थे, इसलिए शिक्षकों से बंचिंग का लाभ वापस ले लिया गया। शिक्षकों ने भेदभाव की शिकायत के साथ उच्च न्यायालय

का दरवाजा खटखटाया क्योंकि राज्य के अन्य कर्मचारियों को एसीपी नियम, 1998 के तहत एसीपी वेतनमान का लाभ दिया गया था। प्रतिवादी-विभाग ने 18 जुलाई, 2001 की अधिसूचना (अनुलग्नक पी-5) को उच्च न्यायालय में रिकॉर्ड पर रखा और बयान दिया कि उपरोक्त अधिसूचना का लाभ काम किया जाएगा और एक वर्ष के भीतर संबंधित व्यक्तियों को दिया जाएगा। उक्त कथन के मद्देनजर, 1999 के सीडब्ल्यूपी नंबर 15105 (अनुलग्नक पी 4) को पहले या दूसरे एसीपी स्केल में प्रारंभिक वेतन के निर्धारण से संबंधित एसीपी नियम, 1998 के नियम 15 का निपटारा किया गया था। सभी याचिकाकर्ताओं ने 10/20 वर्ष की नियमित और संतोषजनक सेवा पूरी कर ली है, इसलिए उनका वेतन 1 जनवरी, 1996 से लागू एसीपी नियम, 1998 के नियम 15 के तहत दोबारा तय किया गया था। उपरोक्त स्पष्ट प्रावधानों के मद्देनजर, याचिकाकर्ता थे 1 जनवरी, 1996 से प्रत्येक तीन वेतन वृद्धि के संशोधित वेतनमान में एक वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया और तदनुसार याचिकाकर्ताओं का वेतन तय किया गया। परंतु 22 अगस्त 2003 को वित्त विभाग द्वारा एक पत्र प्रसारित किया गया, जिसकी प्रति संलग्नक पी-6 के रूप में संलग्न है। परिशिष्ट पी-6 के अनुपालन में अधिक भुगतान की वसूली की शर्त के साथ एक या दो वेतन वृद्धि कम कर याचिकाकर्ताओं का वेतन पुनः निर्धारित किया गया।याचिकाकर्ता क्रमांक 1 के संबंध में दिनांक 24 मई 2006 को किया गया पुनर्निर्धारण आदेश परिशिष्ट पी-7 है।उक्त आक्षेपित आदेश दिनांक 22 अगस्त 2003 (अनुलग्नक पी-6) और 24 मई 2006 (अनुलग्नक पी-7) मनमाना, अवैध, अन्यायपूर्ण और संशोधित वेतन नियम और एसीपी नियम, 1998 के विपरीत हैं और इन्हें रद्द करने की आवश्यकता है।उक्त निर्देश (परिशिष्ट पी-6) वैधानिक नियमों के विपरीत हैं।

(6) याचिकाकर्ताओं को एसीपी नियम, 1998 के नियम 15 के अनुरूप संशोधित वेतनमान में वृद्धि प्रदान की गई है।cयह आदेश दिनांक 18 जुलाई, 2001 (अनुलग्नक पी-5) की अधिसूचना का उल्लंघन करते हुए और 1999 के सीडब्ल्यूपी संख्या 15105 (अनुलग्नक पी-4) में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध पारित किया गया था।याचिकाकर्ताओं से कोई वसूली नहीं की जा सकी क्योंकि याचिकाकर्ताओं की ओर से कोई छिपाव या गलत बयानी नहीं की गई है।

(7) उत्तरदाताओं ने अनुबंध पी-7 में की गई कार्रवाई का बचाव करते हुए लिखित बयान दाखिल किया। राज्य ने 22 अगस्त, 2003 के आदेश (अनुलग्नक पी-6) का भी बचाव किया है और दलील दी है कि याचिकाकर्ताओं का वेतन अनजाने में नियमों के विपरीत तय किया गया था और नियमों (अनुलग्नक पी-6) को ध्यान में रखते हुए, लिपिकीय त्रुटि को ठीक कर दिया गया है और याचिकाकर्ताओं के पास कोई मामला नहीं है।

(8) हमने दोनों पक्षों को विस्तार से सुना है और मामले के रिकॉर्ड को देखा है।

(9) वर्तमान मामले में विवाद 5वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के कारण हरियाणा राज्य के सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के संबंध में एसीपी नियम, 1998 के नियम 15 की व्याख्या से संबंधित है।

वर्तमान मामले के तथ्यों को ठीक से समझने के लिए उस नियम का प्रासंगिक भाग यहां पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

" 15. प्रथम या द्वितीय एसीपी स्केल में प्रारंभिक वेतन का निर्धारण, जैसा भी मामला हो:-(एल) एक सरकारी कर्मचारी का प्रारंभिक वेतन जो इन नियमों द्वारा शासित होता है और जो उप नियम के तहत निर्वाचित होता है या निर्वाचित माना जाता है (4) नियम 14 के अनुसार संशोधित प्रथम एसीपी वेतनमान या संशोधित द्वितीय एसीपी वेतनमान द्वारा शासित किया जाएगा और 1 जनवरी, 1996 से, जब तक कि किसी भी मामले में सरकार विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निर्देश न दे, संशोधित प्रथम एसीपी स्केल या संशोधित द्वितीय एसीपी स्केल में तय किया जाएगा, जैसा कि निम्नलिखित तरीके से उसकी पात्रता पर निर्भर हो सकता है: -

(ए) सभी सरकारी कर्मचारियों के मामले में:

(i) वर्तमान वेतनमान में मूल वेतन का 40 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करने वाली राशि कर्मचारी की मौजूदा परिलब्धियों में जोड़ी जाएगी:

(ii) मौजूदा परिलब्धियों में इतनी वृद्धि होने के बाद, वेतन ऊपर उप-नियम (1) में गणना की गई राशि के बराबर स्तर पर संशोधित वेतनमान में तय किया जाएगा और यदि, संशोधित में ऐसा कोई चरण नहीं है उपरोक्त उप-नियम (1) में ऐसी गणना की गई राशि के बराबर स्केल, संशोधित पैमाने में इस प्रकार गणना की गई राशि के अगले चरण पर:

बशर्ते कि-

(ए) यदि संशोधित वेतनमान का न्यूनतम ऊपर उप-नियम (1) में गणना की गई राशि से अधिक है, तो वेतन संशोधित वेतनमान के न्यूनतम पर तय किया जाएगा;

(बी) यदि उपरोक्त उप-नियम (1) में गणना की गई राशि संशोधित वेतनमान की अधिकतम से अधिक है, तो वेतन उस वेतनमान के अधिकतम पर तय किया जाएगा:

बशर्ते कि वेतन निर्धारण में, वर्तमान वेतनमान में लगातार चार से अधिक चरणों में वेतन प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारी का वेतन बंच हो जाता है, अर्थात, उसी चरण में संशोधित वेतनमान में तय हो जाता है, वेतन में इनमें से ऐसे सरकारी सेवकों का संशोधित वेतनमान, जो वर्तमान वेतनमान में पहले चार लगातार चरणों से परे वेतन प्राप्त कर रहे हैं, को संशोधित वेतनमान में वेतन वृद्धि के अनुदान द्वारा उस चरण तक बढ़ाया जाएगा जहां ऐसी बंचिंग होती है। निम्नलिखित तरीके से, अर्थात्:-

(ए) वर्तमान वेतनमान में 5वें से 8वें चरण तक एक वेतन वृद्धि से वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए।

(बी) वर्तमान वेतनमान में 9वें से 12वें चरण तक वेतन प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए, यदि 8वें चरण के बाद दो वेतन वृद्धियां होती हैं।

(सी) वर्तमान वेतनमान में 13वें से 16वें चरण तक वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए, यदि 12वें चरण से आगे तीन वेतन वृद्धि होती है।

बशर्ते कि इस प्रकार किया गया निर्धारण यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक कर्मचारी को वर्तमान वेतनमान में प्रत्येक तीन वेतन वृद्धि (स्थिर वेतन वृद्धि सहित) के लिए संशोधित वेतनमान में कम से कम एक वेतन वृद्धि मिलेगी।

स्पष्टीकरण :

इस खंड के प्रयोजन के लिए "मौजूदा परिलब्धियाँ" शामिल होंगी,

(ए) वर्तमान वेतनमान में मूल वेतन;

(बी) सूचकांक औसत 1510(1960=100) पर स्वीकार्य मूल वेतन के अनुरूप महंगाई भत्ता और;

(सी) वर्तमान वेतनमान में मूल वेतन पर स्वीकार्य अंतरिम राहत की पहली और दूसरी किस्त की राशि;

(बी) सरकारी सेवकों के मामले में, जो वर्तमान वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन/भत्ते की एक या अधिक श्रेणियों को प्राप्त कर रहे हैं, जो ऐसे कुछ या सभी विशेष वेतन/भत्तों के बिना संशोधित वेतनमान के साथ निर्धारित किया गया है। वेतन उपरोक्त खंड (ए) के प्रावधानों के अनुसार संशोधित वेतनमान में तय किया जाएगा, सिवाय इसके कि ऐसे मामलों में "मौजूदा परिलब्धियों" में शामिल होंगे-

(ए) वर्तमान वेतनमान में मूल वेतन;

(बी) ऐसे सभी विशेष वेतन/भत्तों की वर्तमान राशि जो बंद कर दी गई है।

(सी) प्रासंगिक आदेशों के तहत सूचकांक औसत 1510 (1960=100) पर स्वीकार्य महंगाई भत्ता;और

(डी) वर्तमान वेतनमान में मूल वेतन पर स्वीकार्य अंतरिम राहत की पहली और दूसरी किस्त की राशि।

स्पष्टीकरण:
सरकारी सेवकों की कुछ श्रेणियों में विशेष वेतन या भत्तों की दो या अधिक श्रेणियों का विलय किया जा सकता है और एक एकीकृत विशेष वेतन या भत्ता निर्धारित किया जा सकता है। ऐसे मामलों में, विशेष वेतन/भत्ते की श्रेणियां जिन्हें एकीकृत विशेष वेतन/भत्ते द्वारा विलय और प्रतिस्थापित किया जा सकता है, उन्हें विशेष वेतन/भत्ते के रूप में नहीं माना जाएगा, जिन्हें इस उप-नियम के तहत गणना के प्रयोजनों के लिए बंद कर दिया गया है।

(सी) सरकारी कर्मचारियों के मामले में, जो वर्तमान वेतनमान में वेतन के अलावा किसी अन्य नामकरण के साथ विशेष वेतन घटक प्राप्त कर रहे हैं, जैसे छोटे परिवार के मानदंडों को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत वेतन आदि। और जिनके मामले में इसे संशोधित वेतनमान में समान दर पर या अलग दर पर संबंधित भत्ते/वेतन के साथ प्रतिस्थापित किया गया है, संशोधित वेतनमान में वेतन उपरोक्त खंड (ए) के प्रावधानों

के अनुसार तय किया जाएगा।ऐसे मामलों में, अनुशंसित नई दर पर भत्ता संशोधित वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त लिया जाएगा;

(डी) उन चिकित्सा अधिकारियों के मामले में जो गैर-प्रैक्टिसिंग भत्ता (एनपीए) प्राप्त कर रहे हैं, संशोधित वेतनमान में वेतन खंड के प्रावधानों के अनुसार तय किया जाएगा (ए) ऊपर सिवाय इसके कि ऐसे मामलों में "मौजूदा परिलब्धियां" शब्द में एनपीए और एनपीए पर महंगाई भत्ता शामिल नहीं होगा और केवल निम्नलिखित से समझौता किया जाएगा: -

(ए) वर्तमान वेतनमान में मूल वेतन;

(बी) प्रासंगिक आदेशों के तहत सूचकांक औसत 1510 (1960=100) पर स्वीकार्य मूल वेतन के अनुरूप महंगाई भत्ता; और

(सी) वर्तमान वेतनमान में मूल वेतन पर स्वीकार्य अंतरिम राहत की पहली और दूसरी किस्त की राशि और प्रासंगिक आदेशों के तहत गैर-अभ्यास भत्ता और ऐसे मामलों में, नई दरों पर गैर-अभ्यास भत्ता संशोधित वेतनमान में निर्धारित वेतन के अतिरिक्त लिया जाएगा।

0) नियम 3 (सी) (डी) और (जे) में निहित वेतनमान, कार्यात्मक वेतनमान और वर्तमान वेतनमान की परिभाषा भी प्रासंगिक है।

इसे निम्नानुसार भी पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

"3(सी) किसी भी पद या किसी सरकारी कर्मचारी के संबंध में "मौजूदा वेतनमान" का अर्थ है 31 दिसंबर, 1995 को उस पद या सरकारी कर्मचारी द्वारा धारित पद, जैसा भी मामला हो, के लिए निर्धारित कार्यात्मक वेतनमान।

(डी) सरकारी कर्मचारी के संबंध में "कार्यात्मक वेतनमान" का अर्थ वह वेतनमान है जो सरकारी कर्मचारी द्वारा धारित पद के लिए निर्धारित है। इसका मतलब किसी अन्य वेतनमान से नहीं है जिसमें सरकार किसी अन्य औचित्य के साथ व्यक्तिगत उपाय के रूप में उसका वेतन ले रही है जैसे कि सेवा की अवधि के आधार पर या

उच्च/अतिरिक्त योग्यता के आधार पर या किसी अन्य कारण से वेतनमान के उन्नयन पर:

बशर्ते कि जहां किसी भी संवर्ग में पदों को कार्यात्मक वेतनमान प्रदान नहीं किया गया है और संवर्ग को निर्दिष्ट विभिन्न कार्यात्मक वेतनमानों के साथ पदानुक्रम में पदों के संदर्भ में स्तरीकृत नहीं किया गया है ,जैसा कि हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी) के मामले में है, कैडर में सरकारी कर्मचारी की स्थिति के आधार पर वेतनमान इन नियमों के प्रयोजनों के लिए कार्यात्मक वेतनमान माना जाएगा।

(जे) वर्तमान पैमाना- इन नियमों के दायरे में आने वाले किसी भी सरकारी कर्मचारी के संबंध में उस वेतनमान का मतलब है जिसमें ऐसा सरकारी कर्मचारी 31 दिसंबर, 1995 से पहले अपना वेतन ले रहा था, यदि ऐसा वेतनमान निर्धारित कार्यात्मक वेतनमान से भिन्न होता है जिस पद पर ऐसा सरकारी सेवक कार्यरत था।"

(11) केंद्र सरकार ने पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए अपने कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन किया। हरियाणा राज्य ने पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को अपनाते हुए 1 जनवरी 1996 से अपने कर्मचारियों के वेतनमान को संशोधित वेतन नियम, 1998 के माध्यम से संशोधित किया, जिसे अधिसूचना संख्या जीएसआर3/कांस्ट./अनुच्छेद 309/98 दिनांक 7 जनवरी 1998 द्वारा अपनाया गया। हरियाणा राज्य ने भी एसीपी नियम 1998 बनाए और अधिसूचना संख्या जीएसआर4/कांस्ट./अनुच्छेद 309/98 दिनांक 7 जनवरी 1998 के माध्यम से, उन नियमों को कर्मचारियों पर लागू किया गया। एसीपी नियम, 1998 को शुरू में शिक्षकों सहित कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों पर लागू नहीं किया गया था। शिक्षकों ने इस आधार पर सिविल रिट याचिका संख्या 15105/1999 दायर की कि उनके साथ अन्य सरकारी कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया गया है। उस सिविल रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, हरियाणा राज्य ने 18 जुलाई, 2001 को अधिसूचना, अनुलग्नक पी-5 जारी की, जिसके तहत एसीपी नियम, 1998 को शिक्षकों पर भी लागू किया गया। कुछ याचिकाकर्ताओं को पदोन्नति मिली और कुछ को एसीपी स्केल में रखा गया। याचिकाकर्ताओं को उनकी पदोन्नति या एसीपी स्केल में रखने से पहले वेतनमान 1200-2040 रुपये था और याचिकाकर्ताओं को उनकी पदोन्नति के आधार पर या एसीपी स्केल में रखकर 1400-2640 रुपये के स्केल में रखा गया।

स्कूल शिक्षण स्टाफ के लिए एसीपी स्केल अनुलग्नक पी-5 के अनुसार निम्नानुसार दिया गया है:-

"स्कूल शिक्षण स्टाफ के लिए एसीपी स्केल निम्नलिखित के साथ जोड़ा गया है:-

31 दिसंबर 1995 को पद का कार्यात्मक वेतनमान, जिस पर सरकारी कर्मचारी भर्ती वेतनमान निर्देशित कर रहा था।	पद का संशोधित कार्यात्मक वेतनमान, 1 जनवरी 1996	प्रथम सुनिश्चित कैरियर प्रगति वेतनमान	सुनिश्चित कैरियर प्रगति वेतन
1.1200-2040	4500-7000	5450-8000	5500-9000
2.1400-2600	5500-9000	6500-9000	6500-10500

(12) हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित वेतन), नियम, 1998 के अनुसार याचिकाकर्ता नंबर 1 का वेतन उत्तरदाताओं द्वारा निम्नानुसार गणना की गई थी

"हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1998 के तहत वेतन निर्धारण का विवरण।

1. सरकारी कर्मचारी का नाम: ओम प्रकाश

2. उस पद का पदनाम जिसमें: जेबीटी
वेतन 1 जनवरी, 1996 को

निर्धारित किया जाना है

3. स्थिति (मौलिक/स्थानापन्न): स्थानापन्न

4. पद के लिए लागू वेतन का पूर्व-संशोधित वेतनमान: 1400-40-1600-50

2300-ईबी-60-2600.

5. 31 दिसंबर, 1995 को मौजूदा परिलब्धियाँ:

(ए) मूल वेतन (स्थिर वेतन वृद्धि सहित, यदि कोई हो)। 1650 रुपये

(बी) विशेष वेतन (वेतन के लिए केवल
ऐसे विशेष वेतन पर विचार किया जाएगा
नियम 7(11)(बी) के तहत निर्धारण।

(सी) महंगाई भत्ता एआईसीपीआई औसत 2442 रुपये
1510 पर लागू है
(1960=100)

(डी) अंतरिम राहत (पहली किस्त): 100

(ई) अंतरिम राहत (दूसरी किस्त): 165

(च) कुल मौजूदा परिलब्धियाँ: 4357
(पैर का अंगूठा)

6. फिटमेंट वेटेज (मूल वेतन का 40%) 660

7. कुल [क्रम संख्या 5(एफ) और 6]: 5017

8. उपरोक्त क्रम संख्या 4 पर दर्शाए गए पूर्व-संशोधित वेतनमान के अनुरूप लागू संशोधित वेतनमान:	5450-8000
9. (ए) संशोधित वेतनमान में वह चरण जिस पर वेतन उप-नियम 1 (ए), 1 (बी), 1 (सी) या 1 (डी) के अनुसार तय किया जाना है। और जैसा भी मामला हो, पहला प्रावधान नियम 7 के उप-नियम 1(ए) के दूसरे प्रावधान में परिकल्पित बंचिंग के लाभ को बाहर कर सकता है:	5750
(बी) बाउंसिंग के कारण देय वेतन वृद्धि की संख्या (नियम 7 के उप-नियम 1(ए) का दूसरा प्रावधान)।	5750
(सी) संशोधित वेतनमान का चरण बंचिंग के लाभ सहित तय किया जाना है:	5750
(डी) वेतन के संशोधित चरण में वह चरण जिस पर वेतन तय किया जाना है ताकि पूर्व-संशोधित वेतनमान में प्रत्येक तीन वेतन वृद्धि के लिए संशोधित वेतनमान में कम से कम एक वेतन वृद्धि सुनिश्चित की जा सके (उप-नियम 1 (ए) का तीसरा प्रावधान) नियम 7):	5750
10. लागू संशोधित वेतनमान (क्रम संख्या 9(सी) या 9(डी) पर वेतन का चरण) जो भी अधिक हो, में निर्धारित वेतन:	
11. जूनियर के संशोधित वेतन के संदर्भ में स्टेप अप वेतन, यदि लागू हो और जूनियर का नाम, वेतन और वेतनमान भी स्पष्ट रूप से दर्शाया जाए और वह नियम जिसके तहत स्टेप अप की अनुमति है:	

12. ऐसे मामले में मूल वेतन के संदर्भ में संशोधित वेतन जहां स्थानापन्न पद पर निर्धारित वेतन मूल पद पर निर्धारित वेतन से कम है, यदि लागू हो।

13. व्यक्तिगत वेतन, यदि कोई हो। -
(नियम 7(1) के नीचे नोट 5

14. निर्धारण के बाद संशोधित परिलब्धियाँ।

(ए) संशोधित वेतनमान में वेतन: 5750

(बी) विशेष वेतन, यदि स्वीकार्य हो
(नियम 7 का उपनियम 1(सी))

(सी) व्यक्तिगत वेतन, यदि स्वीकार्य हो -
(नियम 7(1) के नीचे नोट 5)

(डी) नॉन-प्रैक्टिसिंग भत्ता, यदि -
लागू.

15. अगली वेतन वृद्धि की तारीख और वेतन वृद्धि के बाद 1-4-96 वेतन:

वेतनवृद्धि की तिथि : 1 -4-96
वेतन वृद्धि के बाद वेतन : 5900

16. कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी:

1 जनवरी, 1996 को रुपये के वेतनमान एसडी/-
में सत्यापित रुपये 5760 का भुगतान करे खंड शिक्षा अधिकारी,

डोनी के साथ 5480-8000 जींद.
1 अप्रैल, 96. 16 अप्रैल, 1998.

(13) हरियाणा राज्य ने संशोधित वेतन नियम, 1998 के नियम 7 के तीसरे प्रावधान के तहत निम्नलिखित प्रावधान करते हुए 22 अगस्त 2003 को निर्देश (अनुलग्नक पी-6) जारी किए और एसीपी नियम, 1998 के नियम 15 का तीसरा परंतुक:-

"नियम 7 का तीसरा प्रावधान:

बशर्ते कि इस प्रकार किए गए निर्धारण से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि प्रत्येक कर्मचारी को मौजूदा वेतनमान में प्रत्येक तीन वेतन वृद्धि (स्थिर वेतन वृद्धि (यदि कोई हो) सहित) के लिए संशोधित वेतनमान में कम से कम एक वेतन वृद्धि मिलेगी।

"नियम 15 का तीसरा प्रावधान:

बशर्ते कि इस प्रकार किए गए निर्धारण से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि प्रत्येक कर्मचारी को वर्तमान वेतनमान में प्रत्येक तीन वेतन वृद्धि (स्थिर वेतन वृद्धि (यदि कोई हो) सहित) के लिए संशोधित वेतनमान में कम से कम एक वेतन वृद्धि मिलेगी।बशर्ते कि इस प्रकार किए गए निर्धारण से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि प्रत्येक कर्मचारी को वर्तमान वेतनमान में प्रत्येक तीन वेतन वृद्धि (स्थिर वेतन वृद्धि (यदि कोई हो) सहित) के लिए संशोधित वेतनमान में कम से कम एक वेतन वृद्धि मिलेगी।

“उपरोक्त प्रावधान “वर्तमान वेतनमान” में अर्जित प्रत्येक तीन वेतन वृद्धि के लिए संशोधित वेतनमान में एक वेतन वृद्धि देने की परिकल्पना करते हैं। सरकार की मंशा है कि वर्तमान वेतनमान में कर्मचारी द्वारा अर्जित प्रत्येक 3" वास्तविक वेतन वृद्धि के लिए संशोधित वेतनमान में एक "वास्तविक" वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए।

(14) इन निर्देशों के आधार पर, हरियाणा राज्य ने हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1998 के तहत ओम प्रकाश का वेतन निम्नानुसार तय किया:

"हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित वेतन), नियम, 1998 के तहत वेतन निर्धारण का विवरण।

1. सरकारी कर्मचारी का नाम: ओम प्रकाश

2. उस पद का पदनाम जिसमें: जेबीटी
वेतन 1 जनवरी, 1996 को
निर्धारित किया जाना है

3. स्थिति (मौलिक/स्थानापन्न): स्थानापन्न

4. पद के लिए लागू वेतन का पूर्व-संशोधित वेतनमान: 1400-40-1600-50

2300-ईबी-60-2600.

5. 31 दिसंबर, 1995 को मौजूदा परिलब्धियाँ:

(ए) मूल वेतन (स्थिर वेतन वृद्धि सहित, यदि कोई हो)। 1650 रुपये

(बी) विशेष वेतन (वेतन के लिए केवल
ऐसे विशेष वेतन पर विचार किया जाएगा
नियम 7(11)(बी) के तहत निर्धारण।

(सी) महंगाई भत्ता एआईसीपीआई औसत 2442 रुपये
1510 पर लागू है
(1960=100)

(डी) अंतरिम राहत (पहली किस्त): 100

(ई) अंतरिम राहत (दूसरी किस्त): 165

(च) कुल मौजूदा परिलब्धियाँ: 4357
(पैर का अंगूठा)

6. फिटमेंट वेटेज (मूल वेतन का 40%) 660

7. कुल [क्रम संख्या 5(एफ) और 6]: 5017

8. उपरोक्त क्रम संख्या 4 पर दर्शाए गए 5450-8000
पूर्व-संशोधित वेतनमान के अनुरूप लागू
संशोधित वेतनमान:

9. (ए) संशोधित वेतनमान में वह चरण जिस 5450
पर वेतन उप-नियम 1 (ए), 1 (बी), 1 (सी)
या 1 (डी) के अनुसार तय किया जाना है।
और जैसा भी मामला हो, पहला प्रावधान
नियम 7 के उप-नियम 1(ए) के दूसरे प्रावधान
में परिकल्पित बंचिंग के लाभ को बाहर कर सकता है:

(बी) बाउंसिंग के कारण देय वेतन वृद्धि की
संख्या (नियम 7 के उप-नियम 1(ए) का दूसरा प्रावधान)।

(सी) संशोधित वेतनमान का चरण बंचिंग 5450
के लाभ सहित तय किया जाना है:

(डी) वेतन के संशोधित चरण में वह चरण जिस 5450
पर वेतन तय किया जाना है ताकि पूर्व-संशोधित वेतनमान
में प्रत्येक तीन वेतन वृद्धि के लिए संशोधित वेतनमान में कम
से कम एक वेतन वृद्धि सुनिश्चित की जा सके (उप-नियम 1 (ए)
का तीसरा प्रावधान) नियम 7):

10. लागू संशोधित वेतनमान (क्रम संख्या 9(सी) या 9(डी) 5450
पर वेतन का चरण) जो भी अधिक हो, में निर्धारित वेतन:

11. जूनियर के संशोधित वेतन के संदर्भ में स्टेप अप वेतन,
यदि लागू हो और जूनियर का नाम, वेतन और वेतनमान
भी स्पष्ट रूप से दर्शाया जाए और वह नियम जिसके
तहत स्टेप अप की अनुमति है:

12. ऐसे मामले में मूल वेतन के संदर्भ में संशोधित
वेतन जहां स्थानापन्न पद पर निर्धारित वेतन मूल
पद पर निर्धारित वेतन से कम है, यदि लागू हो।

13. व्यक्तिगत वेतन, यदि कोई हो। -
(नियम 7(1) के नीचे नोट 5

14. निर्धारण के बाद संशोधित परिलब्धियाँ।

(ए) संशोधित वेतनमान में वेतन: 5450

(बी) विशेष वेतन, यदि स्वीकार्य हो
(नियम 7 का उपनियम 1(सी))

(सी) व्यक्तिगत वेतन, यदि स्वीकार्य हो -
(नियम 7(1) के नीचे नोट 5)

(डी) नॉन-प्रैक्टिसिंग भत्ता, यदि -
लागू.

15. अगली वेतन वृद्धि की तारीख और वेतन वृद्धि
के बाद 1-4-96 वेतन:

वेतनवृद्धि की तिथि : 1 -4-96

वेतन वृद्धि के बाद वेतन : 5600

16. कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी:

सत्यापित वेतन 1 जनवरी 1996 से संशोधित कार्यात्मक वेतनमान 5450-8000 रुपये में 5450 रुपये, अगली वेतन वृद्धि की तारीख 1 अप्रैल 1996 के साथ सत्यापित है। अतिरिक्त भुगतान की वसूली 1 जनवरी 1996 से आज तक नोटिस देकर की जाएगी।"	एसडी/- खंड शिक्षा अधिकारी जींद. 24 मई 2006

(15) चूंकि सरकार ने हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1998 के नियम 7 पर विचार करते हुए वेतनमान कम कर दिया है, इसलिए इसकी प्रासंगिक स्थिति भी तत्काल संदर्भ के लिए पुन: प्रस्तुत की गई है: -

“7. संशोधित वेतनमान में प्रारंभिक वेतन का निर्धारण-

(1) एक सरकारी कर्मचारी का प्रारंभिक वेतन जो नियम 6 के उप-नियम (3) के तहत निर्वाचित होता है या निर्वाचित माना जाता है, 1 जनवरी 1996 को संशोधित वेतनमान द्वारा शासित होगा, जब तक कि किसी भी स्थिति में नहीं सरकार विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निर्देश देती है कि स्थायी पद पर उसके मूल वेतन के संबंध में अलग से निर्धारण किया जाए, जिस पर उसका ग्रहणाधिकार है या यदि ग्रहणाधिकार निलंबित नहीं किया गया होता तो वह धारणाधिकार रखता और उसके द्वारा धारित स्थानापन्न पद पर उसके वेतन के संबंध में निम्नलिखित तरीके से:-

(ए) सभी कर्मचारियों के मामले में, -

(i) मौजूदा वेतनमान में मूल वेतन का 40 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करने वाली राशि कर्मचारी की मौजूदा परिलब्धियों में जोड़ी जाएगी;

(ii) मौजूदा परिलब्धियों में इतनी वृद्धि होने के बाद, वेतन उप-नियम में ऐसी गणना की गई राशि के बराबर स्तर पर संशोधित वेतनमान में तय किया जाएगा।

(i) उपरोक्त और यदि संशोधित पैमाने में उपरोक्त उप-नियम (i) में गणना की गई राशि के बराबर कोई ऐसा चरण नहीं है, तो संशोधित पैमाने में इस प्रकार गणना की गई राशि के अगले चरण पर।

बशर्ते कि-

(ए) यदि संशोधित वेतनमान का न्यूनतम ऊपर उप-नियम (i) में गणना की गई राशि से अधिक है, तो वेतन संशोधित वेतनमान के न्यूनतम पर तय किया जाएगा;

(बी) यदि उपरोक्त उप-नियम (i) में गणना की गई राशि संशोधित वेतनमान की अधिकतम से अधिक है, तो वेतन उस वेतनमान के अधिकतम पर तय किया जाएगा:

बशर्ते कि जहां वेतन निर्धारण में, मौजूदा वेतनमान में लगातार चार से अधिक चरणों में वेतन प्राप्त करने वाले सरकारी सेवकों का वेतन बंच हो जाता है, अर्थात, उसी चरण में संशोधित वेतनमान में तय हो जाता है, वहां वेतन इनमें से ऐसे सरकारी सेवकों का संशोधित वेतनमान, जो मौजूदा वेतनमान में पहले चार लगातार चरणों से अधिक वेतन ले रहे हैं, उस चरण तक बढ़ा दिया जाएगा जहां ऐसी बंचिंग होती है,संशोधित वेतनमान में निम्नलिखित तरीके से वेतन वृद्धि प्रदान की जाएगी

(I) मौजूदा वेतनमान में 5वें से 8वें चरण तक एक वेतन वृद्धि से वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए।

(II) मौजूदा वेतनमान में 9वें से 12वें चरण तक वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए, यदि 8वें चरण के बाद दो वेतन वृद्धि होती है।

(III) मौजूदा वेतनमान में 13वें से 16वें चरण तक वेतन प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए, यदि 12वें चरण के बाद तीन वेतन वृद्धियां होती हैं।

यदि ऊपर बताए अनुसार वेतन बढ़ाने से, एक सरकारी कर्मचारी का वेतन संशोधित वेतनमान में एक स्तर पर तय हो जाता है, जो संशोधित वेतनमान में उस चरण से अधिक है जिस पर एक सरकारी कर्मचारी का वेतन जो अगले वेतनमान में वेतन ले रहा था। यदि उसी मौजूदा वेतनमान में उच्च स्तर या चरण तय किए गए हैं, तो बाद वाले का वेतन भी केवल उस सीमा तक बढ़ाया जाएगा, जिस हद तक वह पहले वाले से कम हो जाएगा:

बशर्ते कि इस प्रकार किए गए निर्धारण से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि प्रत्येक कर्मचारी को मौजूदा वेतनमान में प्रत्येक तीन वेतन वृद्धि (स्थगन वेतन वृद्धि (यदि कोई हो) सहित) के लिए संशोधित वेतनमान में कम से कम एक वेतन वृद्धि मिलेगी।

.

स्पष्टीकरण -इस खंड के प्रयोजन के लिए "मौजूदा परिलब्धियाँ" में शामिल होंगे-

(ए) मौजूदा वेतनमान में मूल वेतन;

(बी) सूचकांक औसत 1510 (1960=100) पर स्वीकार्य मूल वेतन के अनुरूप महंगाई भत्ता; और

(सी) मौजूदा वेतनमान में मूल वेतन पर स्वीकार्य अंतरिम राहत की पहली और दूसरी किस्त की राशि;

(बी) उन कर्मचारियों के मामले में जो मौजूदा वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन/भत्ते की एक या अधिक श्रेणियों को प्राप्त कर रहे हैं, जो ऐसे कुछ या सभी विशेष वेतन/भत्तों के बिना संशोधित वेतनमान के साथ निर्धारित किया गया है, वेतन उपरोक्त खंड (ए) के प्रावधानों के अनुसार संशोधित वेतनमान में तय किया जाएगा, सिवाय इसके कि ऐसे मामलों में "मौजूदा परिलब्धियां" शामिल होंगी-

(ए) मौजूदा वेतनमान में मूल वेतन;

(बी) ऐसे सभी विशेष वेतन/भत्ते की मौजूदा राशि जो बंद कर दी गई है।

(सी) प्रासंगिक आदेशों के तहत सूचकांक औसत 1510 (1960=100) पर स्वीकार्य महंगाई भत्ता; और

(डी) मौजूदा वेतनमान में मूल वेतन पर स्वीकार्य अंतरिम राहत की पहली और दूसरी किस्त की राशि;

स्पष्टीकरण-सरकारी सेवकों की कुछ श्रेणियों में विशेष वेतन या भत्तों की दो या अधिक श्रेणियों का विलय किया जा सकता है और एक एकीकृत विशेष वेतन या भत्ता निर्धारित किया जा सकता है।
ऐसे मामलों में, विशेष वेतन/भत्तों की श्रेणियां जिन्हें एकीकृत विशेष वेतन/भत्तों द्वारा विलय और प्रतिस्थापित किया जा सकता है, उन्हें विशेष वेतन/भत्ते के रूप में नहीं माना जाएगा जिन्हें इस उप-नियम के तहत गणना के प्रयोजनों के लिए बंद कर दिया गया है:

(सी) उन कर्मचारियों के मामले में जो मौजूदा वेतनमान में वेतन के अलावा किसी अन्य नामकरण के साथ विशेष वेतन घटक प्राप्त कर रहे हैं, जैसे कि छोटे परिवार के मानदंडों को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत वेतन, आदि और जिनके मामले में इसे संशोधित वेतनमान में समान दर पर या अलग दर पर संबंधित भत्ते/वेतन के साथ प्रतिस्थापित किया गया है, संशोधित वेतनमान में वेतन उपरोक्त खंड (ए) के प्रावधानों के अनुसार तय किया जाएगा।ऐसे मामलों में, अनुशंसित नई दर पर भत्ता संशोधित वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त लिया जाएगा;

(डी) गैर-प्रैक्टिसिंग भत्ता (एनपीए) प्राप्त करने वाले चिकित्सा अधिकारियों के मामले में, संशोधित वेतनमान में वेतन खंड के प्रावधानों के अनुसार तय किया जाएगा और (ए) ऊपर सिवाय इसके कि ऐसे मामलों में 'मौजूदा परिलब्धियों' शब्द में एनपीए शामिल नहीं होगा और इसमें केवल निम्नलिखित शामिल होंगे: -

(ए) मौजूदा वेतनमान में मूल वेतन;

(बी) प्रासंगिक आदेशों के तहत सूचकांक औसत 1510 (1960=100) पर स्वीकार्य मूल वेतन के अनुरूप महंगाई भत्ता और

(सी) मौजूदा वेतनमान में मूल वेतन पर स्वीकार्य अंतरिम राहत की पहली और दूसरी किस्त की राशि और प्रासंगिक आदेशों के तहत गैर-अभ्यास भत्ता और ऐसे मामलों में, नई दरों पर गैर-अभ्यास भत्ता के अलावा निकाला जाएगा संशोधित वेतनमान में इतना तय वेतन

(16) इसलिए, उपरोक्त पढ़ने से यह स्पष्ट है कि संशोधित वेतन नियम, 1998 के नियम 7 और एसीपी नियम, 1998 के नियम 15 समान हैं, लेकिन, नियम 15 में, सुनिश्चित प्रगति योजना के प्रभाव को ध्यान में रखा गया है

(17) अब, सवाल उठता है कि क्या याचिकाकर्ता ओम प्रकाश और अन्य के वेतनमान को कम करने में राज्य सरकार की कार्रवाई कानूनी जांच की कसौटी पर खरी उतरती है। श्री हुडा ने ओम प्रकाश का मामला उठाते हुए कहा कि चूंकि 40% का लाभ जोड़ने के बाद ओम प्रकाश का वेतन रु. 5,017, इस प्रकार ओम प्रकाश 1 जनवरी, 1996 को न्यूनतम 5450-8000 रुपये यानी 5,450 रुपये के वेतनमान के हकदार हैं। श्री हुड्डा द्वारा दी गई दलील यह है कि याचिकाकर्ता ओम प्रकाश ने 1 जनवरी, 1994 के बाद केवल दो वेतन वृद्धि अर्जित की है और इस प्रकार वह संशोधित वेतन नियम, 1998 के नियम 7 और एसीपी नियम, 1998 के नियम 15 के अनुसार बंचिंग के लाभ के हकदार नहीं हैं।

(18) अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि याचिकाकर्ताओं का वेतन संशोधित वेतनमान के न्यूनतम पर निर्धारित किया गया है। याचिकाकर्ता ओम प्रकाश के मामले को उठाते हुए, यह पाया गया कि 31 दिसंबर, 1995 को ओम प्रकाश का वेतनमान 1400-2600 रुपये था और संशोधित वेतनमान 5450-8000 रुपये है। मूल वेतन, महंगाई भत्ता, अंतरिम राहत में 40% वृद्धि का लाभ देने के बाद, ओम प्रकाश याचिकाकर्ता के संबंध में कुल वेतन रु। 5,017 जैसा कि अनुबंध पी-2 में बताया गया है। अनुबंध पी-2 में खंड 8 तक इन गणनाओं के संबंध में कोई विवाद नहीं है। दोनों पक्षों के बीच विवाद याचिकाकर्ता ओम प्रकाश द्वारा की गई सेवा के बदले तीन वेतन वृद्धि का लाभ देने से शुरू होता है। अनुबंध पी-2 के अनुसार, ओम प्रकाश याचिकाकर्ता को 5750 रुपये का मूल वेतन दिया गया था, लेकिन बाद में, अनुबंध पी-6 के तहत, 1 जनवरी 1996 को उनका मूल वेतन 5450 रुपये तय किया गया और बकाया वेतन की वसूली दी गई। याचिकाकर्ता ओम प्रकाश से इसे प्रभावित करने की मांग की गई है। उत्तरदाताओं द्वारा दिया गया कारण यह है कि चूंकि ओम प्रकाश ने रुपये के वर्तमान वेतनमान में केवल दो वेतन वृद्धि अर्जित की है। 1400-2600 जो कि वर्तमान वेतनमान में तीन वेतन वृद्धियों से कम है, अत: अनुलग्नक पी-6 अनुदेशों के आलोक में उनका वेतन न्यूनतम निर्धारित किया जाना है। उत्तरदाताओं का यह दृष्टिकोण संशोधित वेतन नियम, 1998 और एसीपी नियम, 1998 की भावना के विरुद्ध है।संशोधित वेतन नियमों के नियम 7 का अंतिम परंतुक और एसीपी नियमों के नियम 15 का अंतिम परंतुक, ऊपर

उल्लिखित प्रासंगिक हैं। इन प्रावधानों में कहा गया है कि जहां वेतन निर्धारण में, मौजूदा वेतनमान में लगातार चार से अधिक चरणों में वेतन प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारियों का वेतन एकत्रित हो जाता है, इसका मतलब है, संशोधित वेतनमान में उसी स्तर पर तय हो जाता है और इन सरकारी कर्मचारियों के संशोधित वेतनमान में वेतन, जो मौजूदा वेतनमान में पहले चार लगातार चरणों से परे वेतन ले रहे हैं, उस चरण तक बढ़ा दिया जाएगा जहां इस तरह की बंचिंग होती है जैसा कि उल्लेख किया गया है। उपर्युक्त नियमों के अनुसार संशोधित वेतनमान में वेतन वृद्धि प्रदान की जायेगी। यदि सरकारी कर्मचारी वर्तमान वेतनमान में 5वीं से 8वीं तक है तो उस स्थिति में एक वेतन वृद्धि दी जानी है। यदि सरकारी कर्मचारी वर्तमान वेतनमान में 9वीं से 12वीं तक वेतन प्राप्त कर रहा है, तो उस स्थिति में दो वेतन वृद्धि दी जानी है और 13वें से 16वें चरण तक वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारी को संशोधित वेतनमान में तीन वेतन वृद्धि दी जानी है।संशोधित वेतनमान में वेतन वृद्धि का लाभ देते समय वर्तमान वेतनमान के चरणों को ध्यान में रखना होगा। याचिकाकर्ता ओम प्रकाश का मूल वेतन 31 दिसंबर, 1995 को 1400-2600 रुपये के वेतनमान में 1650 रुपये था। 1400 रुपये से 1600 रुपये तक की वृद्धि 40 रुपये है और 1650 के बाद, 1400-2600 रुपये के वर्तमान वेतनमान में 50 रुपये की वृद्धि होती है तो, ओम प्रकाश याचिकाकर्ता रुपये के वेतनमान में छठे चरण तक पहुंच गए हैं। 1400-2600 और इस तरह याचिकाकर्ता ओम प्रकाश संशोधित वेतन नियम, 1998 के नियम 7 और एसीपी नियम, 1998 के 15 के अनुसार संशोधित वेतनमान में एक वेतन वृद्धि के हकदार हैं क्योंकि वह वर्तमान वेतनमान के 6वें चरण में थे।

(19) श्री हुडा का यह तर्क कि चूंकि ओम प्रकाश याचिकाकर्ता ने 1400-2600 रुपये के पैमाने पर केवल दो वेतन वृद्धि अर्जित की है, इसलिए वह तीन वेतन वृद्धि के बदले अतिरिक्त वेतन वृद्धि का हकदार नहीं है, इसमें कोई दम नहीं है।उपर्युक्त संशोधित वेतन नियम, 1998 और एसीपी नियम, 1998 उन चरणों को ध्यान में रखते हुए "संशोधित वेतनमान" में वेतन वृद्धि देने से संबंधित हैं, जहां कर्मचारी को वर्तमान वेतनमान में वेतन मिल रहा था।पिछला वेतन संशोधन 1 जनवरी, 1986 से हुआ है।यदि इस नियम का उद्देश्य सेवा के वर्ष के अनुसार वेतन वृद्धि देना था, तो उस स्थिति में, कोई भी कर्मचारी 1 जनवरी, 1986 से 1 जनवरी, 1996 के बीच 10वें चरण से अधिक नहीं पहुंच सकता था। इस योजना में 16वें चरण तक भी वेतन वृद्धि देने की परिकल्पना की गई थी, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कर्मचारी का वेतन तय करते समय वर्तमान वेतनमान के चरणों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, न कि वर्तमान वेतनमान में अर्जित "वास्तविक" वेतन वृद्धि को।

(20) एक अन्य परिस्थिति जो प्रतिवादियों के मामले को प्रतिकूल बनाती है, वह यह है कि सभी याचिकाकर्ताओं को, जिन्हें एसीपी स्केल दिया गया है, संशोधित वेतनमान में कोई वृद्धि नहीं दी गई है

और लागू करते समय उनका मूल वेतन संशोधित वेतनमान के न्यूनतम पर तय किया गया है (अनुलग्नक पी-6)। इसलिए, एक कर्मचारी जो याचिकाकर्ताओं के समान रैंक का है, 1 जनवरी, 1996 या वर्ष 1996 के दौरान किसी भी समय सेवा में शामिल होता है, उसे 5450 रुपये का मूल वेतन मिलेगा।याचिकाकर्ता ओम प्रकाश को 5450 रुपये का मूल वेतन स्वीकृत किया गया है। 1 जनवरी, 1979 से 1 जनवरी, 1996 तक की सेवा के संबंध में ओम प्रकाश को कोई महत्व नहीं दिया गया है। इसका मतलब है कि जो कर्मचारी 1 जनवरी 1979 और 1 जनवरी 1996 को नियुक्त हुआ है उसे समान वेतन मिलेगा। संशोधित वेतन नियम, 1998 और एसीपी नियम, 1998 के निर्माताओं का यह इरादा कभी नहीं था। अंतर्निहित विचार यह है कि अतीत के दौरान उसके द्वारा प्रदान की गई सेवा के लिए कुछ लाभ प्राप्त किया जाए। यही हाल अन्य कर्मचारियों का भी है। रिकार्ड के अवलोकन से पता चला कि याचिकाकर्ताओं को उनकी पिछली सेवा के बदले केवल एक, दो या तीन वेतन वृद्धि दी गई है। अत: परिशिष्ट पी-2 में उत्तरदाताओं द्वारा की गई गणना किसी भी प्रकार से गलत नहीं कही जा सकती।

(21) जहां तक अनुबंध पी-6 (पत्र दिनांक 22 अगस्त, 2003) का संबंध है, यह प्रावधान कि सरकारी कर्मचारी को वर्तमान वेतनमान में कर्मचारी द्वारा अर्जित प्रत्येक तीन 'वास्तविक वेतन वृद्धि' के लिए एक वेतन वृद्धि मिलेगी, संशोधित वेतन नियम 1998 और एसीपी नियम 1998 की भावना के खिलाफ है। यदि 'वास्तविक' शब्द को ध्यान में रखा जाता है, तो उस स्थिति में, योजना स्वयं ही निरर्थक हो जाएगी क्योंकि कोई भी कर्मचारी वर्तमान वेतनमान में दस से अधिक वेतन वृद्धि अर्जित नहीं कर सकता है और 16वें चरण तक वेतन वृद्धि देना निरर्थक हो जाएगा।वेतनमान का पिछला संशोधन वर्ष 1986 में किया गया था।मूल योजना वर्तमान पैमाने के चरणों की व्याख्या करती है न कि अर्जित "वास्तविक" वेतन वृद्धि की।

(22) वैधानिक नियमों/योजनाओं के विरूद्ध निर्देश जारी नहीं किये जा सकेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड बनाम रणजोध सिंह और अन्य[1] के मामले में प्राधिकरण में माना है कि कार्यकारी निर्देश वैधानिक नियमों से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसलिए वैधानिक संशोधित वेतन नियम, 1998 और एसीपी नियम, 1998 के खिलाफ कार्यकारी निर्देश होने के कारण अनुबंध पी-6 में 'वास्तविक' को शामिल करने वाले शब्द को वैध नहीं माना जा सकता है और इसे रद्द कर दिया गया है।

(23) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने आगे कहा है कि याचिकाकर्ताओं से कोई वसूली का आदेश नहीं दिया जा सकता क्योंकि याचिकाकर्ताओं की ओर से कोई धोखाधड़ी या चूक नहीं हुई है।

---

[1] 2007(2) आर.एस.जे. 61

श्री हुडा द्वारा उक्त प्रार्थना का विरोध किया गया है। हालाँकि, उस याचिका पर किसी निर्णय की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह माना गया है कि याचिकाकर्ताओं से कोई वसूली नहीं की जा सकती है।

(24) उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, अनुबंध पी-6 और पी-7 रद्द कर दिए गए हैं और अनुबंध पी-6 के आधार पर याचिकाकर्ताओं से वेतन वृद्धि वापस लेने का आदेश भी रद्द कर दिया गया है। आगे आदेश दिया गया है कि 22 अगस्त 2003 के पत्र, अनुलग्नक पी-6 और पी-7 के आधार पर याचिकाकर्ताओं से कोई वसूली नहीं की जाएगी। यदि वेतन के पुनर्निर्धारण के कारण किसी भी याचिकाकर्ता से कोई राशि वसूल की जाती है, तो अनुबंध पी-6 के आधार पर, उसे आज से छह महीने के भीतर संबंधित याचिकाकर्ताओं को वापस कर दिया जाएगा।

(25) इसलिए, उपरोक्त सभी सिविल रिट याचिकाओं का निपटारा ऊपर बताई गई शर्तों के अनुसार किया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अँग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

Checked By:

Karandeep

Trainee Judicial Officer

Chandigarh Judicial Academy,

Chandigarh